

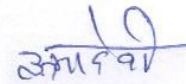
सेवा में,

वन मण्डल अधिकारी,
यमुनानगर।

विषय: ग्राम पंचायत देवधर से बेलगढ़ तक आने-जाने हेतु वन भूमि के उपयोग बारे।

उपरोक्त विषय के अन्तर्गत आपकी सेवा में लिखा जाता है कि खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, खिजराबाद ने अपने पत्र क्रमांक 754 दिनांक 12.09.2018 द्वारा अवगत कराया है कि ग्राम पंचायत देवधर प्रस्ताव-1 दिनांक 04.09.2018 द्वारा पारित किया है कि ग्राम पंचायत देवधर का रास्ता खसरा नं० 180 जिसका रकबा 18 कनाल 5 मरले जो 3 कर्म चौड़ा गैर मुमकीन रास्ता है इस रास्ते की सारी भूमि पर वन विभाग के वृक्ष खड़े हैं और वन विभाग द्वारा इस भूमि पर कब्जा किया हुआ है जिस कारण गांव वासियों को अपनी भूमि में आने-जाने में असुविधा हो रही है गांव वासियों ने गांव देवधर की सरहद व गांव मजादवाला गाम पंचायत कन्यावाला की सरहद के साथ खसरा नं० 3//10,11,19,20,21,22, 9//2,3,7,8,14,17,25, 12//5 व 11//1,9,10,12,18,19 4//5,6 के रकबे में से अस्थायी रूप से चल रहा है इसलिये ग्राम पंचायत का रास्ता खसरा नं० 180 की भूमि को बदलकर वन विभाग की भूमि खसरा नं० 3//10,11,19,20,21,22, 9//2,3,7,8,14,17,25, 12//5 व 11//1,9,10,12,18,19 4//5,6 में तीन कर्म चौड़ाई के रास्ता का तबादला वन विभाग की भूमि के साथ करने की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त केस में आगामी कार्यवाही करने का कष्ट करें।



सरपंच
ग्राम पंचायत,
देवधर।